न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 83/2012

1 प्रकाशचन्द्र उम्र 58 साल पुत्र स्व. फतेहचन्द जाति ब्राह्मण निवासी उर्फ जीत की ढाणी श्रीकृष्णपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सुरेश कुमार उम्र 40 साल पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जीत की ढाणी उर्फ श्रीकृष्णपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजेन्द्र उम्र 60 साल पुत्र स्व. हरिशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
3 सुरेन्द्र उम्र 62 साल पुत्र स्व. हरिशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
4 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.07.2012 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय झुन्झुनू बमुकदमा उनवानी सुरेश कुमार बनाम प्रकाश वगेरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी मुकदमा नम्बर 37/2009

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुशील जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा 37/2009 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2012के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के एक प्रार्थना 212 आरटीए बाबत भूमि खसरा नम्बर 140 लगायत 145, 223, 224, 233, 234 वाके ग्राम श्री कृष्णपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि काश्त की भूमि खसरा नम्बर हाल 140 लगायत 145, 223, 224, 233, 234 कुल किता 10 कुल रकबा 4.81 हैक्टेयर भूमि में अशोक, सुभाष, लीलाधर, सुरेन्द्र, राजेन्द्र का 1/2 हिस्सा अपीलार्थी प्रकाशचन्द्र का 1/2 हिस्सा है अशोक, सुभाष, लीलाधर एवं उसकी माता सुमित्रा ने अपने हिस्से की भूमि जरिये विक्रय इकरार छोटे–छोटे भूखण्डों के रूप में दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दी गई जिस पर खरीदारान मकानात बनाकर आबाद है। जिनमें से दो भूखण्ड स्वयं वादी सुरेश कुमार व उसके पिता रामेश्वर लाल ने खरीद रखे है। अर्थात विक्रेतागण द्वारा अपने हिस्से की भूमि पहले ही विक्रय की जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

चुकी है उसके पश्चात वादी एवं उपरोक्त सुभाष, लीलाधर एवं अशोक के साजीस पूर्वक अपीलार्थी के हिस्से से अपीलार्थी को वंचित करने के लिए एक विक्रय पत्र वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में 05.05.2009 को तस्दीक करवा दिया जिसके आधार पर वादी अपीलार्थी के हिस्से पर जबरन लठ के जोर पर काबिज होना चाहता है इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दरख्वास्त की मद संख्या में भली भांति अंकित किया गया है चुकि अशोक, सुभाष व लीलाधर द्वारा भुखण्डो के रूप में विक्रय की गयी भूमि के विक्रय पत्र चुंकि रजिस्टर्ड नहीं थे इस कारण उन भुखण्डो के विक्रय पत्रों का रेवन्यू रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व अशोक, सुभाष, व लीलाधर ने साज करके उपरोक्त तथा कथित विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2009 तस्दीक करवाया है इस तक पर विचारण न्यायालय व गौर न करने में भयंकर कानूनी भूल की है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को निरस्त करते समय विचारण न्यायालय को प्रथम दृष्टया मुकदमा सुविधा का संतुलन एवं अपूरर्णीय क्षति के बिन्दू पर विचार करना होता है तथा यह तीनों बिन्दु आवेदक के हक में होने पर ही विपक्षीगण को पाबन्द किया जा सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में आलौच्य निर्णय में उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के बाबत कोई विवेचन नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दान पत्र पाना देवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का करवाया गया जबकि आवेदक ने हरिशचन्द्र के वारिसान की 1/2 हिस्से की भूमि में से 3/10 हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है जिसका नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 20.05.2009 को स्वीकृत होकर जमाबन्दी सम्वत 2062–65 के खाता संख्या 24 पर इन्द्राज हो चुका है। इस प्रकार आवेदक विवादित भूमि में 3/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार स्पष्ट तौर पर दर्ज है। खातेदार काश्तकार द्वारा अपील खातेदारी भूमि में किसी अन्य की दखलन्दाजी रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की प्रार्थना करना उचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दान पत्र पाना देवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का करवाया गया जबकि आवेदक ने हरिशचन्द्र के वारिसान की 1/2 हिस्से की भूमि में से 3/10 हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है जिसका नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 20.05.2009 को स्वीकृत होकर जमाबन्दी सम्वत 2062–65 के खाता संख्या 24 पर इन्द्राज हो चुका है। इस प्रकार आवेदक विवादित भूमि में 3/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार स्पष्ट तौर पर दर्ज है। खातेदार काश्तकार द्वारा अपील खातेदारी भूमि में किसी अन्य की दखलन्दाजी रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की प्रार्थना करना उचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रटि नहीं पाते है। अतः इसमे हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)